यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, नलकूप मण्डल, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, नलकूप मण्डल, देहरादून के माह 04/2014 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/07/2017 से 22/07/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः नलकूप लघुडाल/देहरादून, पौड़ी, चमोली, श्रीनगर और रूद्रप्रयाग।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	2700	-	-	90.72	90.72	-	-
2015-16	2700	-	-	108.79	103.66	-	5.13
2016-17	2700	-	-	147.74	132.79	-	14.75
2017-18 (06/17 तक)	2700	-	-	74.51	53.08	-	21.43

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता
सहायक अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, नलकूप मण्डल, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, नलकूप मण्डल, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2017 एवं 08/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ..... लागू नहीं.....का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 12/03/2015 से 18/12/2015 का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह .....N/A..... तथा .....N/A..... तक की गई।
5. फार्म 51: माह .....N/A..... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - N/A

   भाग द् वतीय - N/A

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..... के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम

   (ख) सामग्री क्रय

   (ग) नगद परिशोधन

   (घ) निक्षेप

   (ङ) भण्डार

/

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः1- 1083.00 लाख के कार्यों का बिना प्रा व धक स्वीकृति के निष्पादन।

अधीक्षण अ भयन्ता, नलकूप मण्डल (यांत्रिक), देहरादून के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (July 2017) क AIBP के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग में काण्डा भटवाट में एक लफ्ट संचाई निर्माण योजना जिसकी स्वीकृति 103.21 लाख थी (नवम्बर 2014) तथा 05 अन्य योजनाए जिसका ववरण निम्नवत हैः-

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल लागत (लाख में)
1.	रूद्रप्रयाग के वकास खण्ड अगत्सयमुनि में स्पिकलर प्रणाली पर आधारित 02 नलकूपों/पम्प नहरों का निर्माण	206.62
2.	चमोली के वकास खण्ड कर्णप्रयाग एवं दशोली के स्पिकलर प्रणाली पर आधारित 02 नलकूपों का निर्माण।	206.62
3.	उत्तरकाशी में पुरोला एवं डुण्डा में स्पिंकलर प्रणाली पर आधारित 02 नलकूपों का निर्माण।	206.62
4.	टिहरी के वकास खण्ड थौलघाट एवं जौनपुर में स्पिंकलर प्रणाली पर आधारित 02 नलकूपों का निर्माण।	206.62
5.	टिहरी के व भन्न वकास खण्डों में स्पिंकलर प्रणाली पर आधारित 11 मनी नलकूपों के निर्माण की योजना।	153.34
	कुल योग	979.82

का कार्य मण्डल के अन्तर्गत व भन्न खण्डों द्वारा बिना प्रा व धक स्वीकृति के निष्पादित कराया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त 05 नलकूप योजनाओं से सम्ब धत प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति भी मण्डल के पास उपलब्ध नहीं थी जब क उक्त से संबं धत Project Completion Report मुख्य अ भयन्ता (यांत्रिक) को प्रे षत की गई थी (फरवरी 2017)।

उक्त की ओर इं गत कये जाने पर मण्डल द्वारा उत्तर में बताया गया क योजनाओं की वत्तीय स्वीकृति से पूर्व ही वत्त वभाग की तकनीकी कोष्ठ द्वारा परीक्षण के उपरान्त ही प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिन योजनाओं की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, उसके लए खण्ड को निर्दे शत कर दिया जायेगा।

मण्डल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति के उपरान्त ही स्वीकृत धनरा श के आधार पर वस्तृत आगणन/प्रा व धक स्वीकृति की जाती है। मण्डल द्वारा Project completion Report भेजने के बावजूद प्रा व धक स्वीकृति का संज्ञान में न लेना वभागीय श थलता एवं वत्तीय नियमावली का उल्लंघन है। अतः बिना प्रा व धक स्वीकृति के 1083.00 लाख के कार्य निष्पादन का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- 6489.66 लाख (100%) व्यय के उपरान्त संचन लक्ष्यों को प्राप्त न कया जाना।

अधीक्षण अ भयन्ता नलकूप मण्डल (यांत्रिक) देहरादून के वत्तीय एवं प्रगति सूचना वत्तीय वर्ष 2015-16 (03/2016) की जांच के दौरान निम्न आंकड़े पाये गये।

जनपद- हरिद्वार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कुल प्रस्ता वत		31.03.2015 तक प्रगति		31.03.2016 (2015-16) अवशेष	
		वत्तीय	संचन	वत्तीय	संचन	वत्तीय	संचन
1.	नाबार्ड RIDF – XVII के अन्तर्गत 58 नलकूपों का निर्माण कार्य	2773.25	4350	2773.25	825 (19%)	शून्य	1275 (29%)
2.	नाबार्ड RIDF – XVII के अन्तर्गत 37 नलकूपों का निर्माण कार्य	2384.31	2775	2384.31	450 (19%)	शून्य	1575 (57%)
3.	नाबार्ड RIDF – XVII के अन्तर्गत 28 नलकूपों का निर्माण कार्य	1332.10	2100	1332.10	675 (32%)	शून्य	1050 (50%)
	कुल	**6489.66**	**9225**	**6489.66 (100%)**	**1950 (21%)**	शून्य	**3900 (42%)**

उस प्रकार दिनांक 31.03.2015 (2014-15) तक उक्त कार्यों पर कुल 6489.66 (100%) की वत्तीय प्रगति होने के बाद भी वत्तीय वर्ष 2015-16 (31.03.2016) तक यानि एक वर्ष के बाध भी प्रस्ता वत संचन लक्ष्य कुल 9225 हैक्टेयर के सापेक्ष कुल 5325 है. (58%) का संचन लक्ष्य प्राप्त कया गया था यानि प्रस्ता वत लक्ष्य से 3900 हैक्टेयर (42%)कम।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर मण्डल ने अपने उत्तर में बताया क हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत तत्कालीन नलकूप खण्ड रूड़की में नलकूप चालक एवं आदि क र्मयों (सींचपाल सींच पर्यवेक्षक आदि की कमी के कारण सींच दर्ज नहीं की जा सकीहै ।

लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क जल खण्ड द्वारा कृषकों को संचन सु वधा उपलब्ध करायी जाती है तो सींच दर्ज करना भी आपकी जिम्मेदारी थी।

अतः एक वर्ष से भी अ धक समय से कार्य की वत्तीय प्रगति 100 प्रतिशत यानि 6489.66 लाख होने के बाद भी प्रस्ता वत संचन लक्ष्य 9225 हैक्टेयर के सापेक्ष मात्र 5325 हैक्टेयर (58 %) का लक्ष्य प्राप्त कया जना यानि प्रस्ता वत लक्ष्य से 3900 हैक्टेयर (42%) कम के प्रकरण को उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या -	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
N/A		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, नलकूप मण्डल, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) डाक पंजिका (201 3-201 6)

(ii) खण्ड की निरीक्षण आख्या (अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री टी.एस. मर्तो लया,	अधीक्षण अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) /

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, नलकूप मण्डल, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II